न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 59/2017

अपीलाण्ट
कैलाशचन्द पुत्र चर्तभुज जाति ब्राहम्ण निवासी लाटौती तहसील जैतारण

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
1 सुरज शर्मा पुत्र कैलाशचन्द
2 नमीता पत्नि सूरज शर्मा पुत्रवधु कैलाशचन्द जातिगण ब्राहम्ण निवासी लौटोती तहसील जैतारण
3 उप पंजीयन अधिकारी जैतारण
4 तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 10.11.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1574/2017 सुरज शर्मा वगैरा बनाम कैलाशचन्द वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि लाटौती के खसरा नम्बर 61/4, 567, 575, 634/2, 636, 637, 637/1041 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 85 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 343, 427, 428, 429 व 556/23 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के दादा चर्तभुज की है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलाण्ट के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण इसमें रेस्पोडेन्ट का भी हक हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट उक्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिये उन्हे कृषि भूमि का हस्तान्तरण नही करने तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर यह आदेश दिया कि मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चर्तभुज के पौत्र होने के आधार पर उक्त भूमि में अपना हक होने का दावा किया है। रेस्पोडेन्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जन्म चर्तभुज की मृत्यु के लगभग 3 वर्ष पश्चात हुआ है। इस प्रकार चर्तभुज के पौत्र की हैसियत में उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट का हक उत्पन्न ही नही होता है। चर्तभुज के दो पुत्र नथमल एवं कैलाशचन्द है तथा इनके अतिरिक्त पुत्रिया भी है। चर्तभुज की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलाण्ट एवं नथमल के नाम दायर किया गया तथा उसके बाद नथमल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि इनके वारिशों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। कैलाशचन्द वर्तमान में एक रेकर्डेड खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तरिम आदेश पारित नही किया जा सकता है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 न तो खातेदार है तथा न ही इनका हिस्सा तय है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलाण्ट की पुत्रवधु है, जिसका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा चर्तभुज के पौत्र के तौर पर अपना हिस्सा क्लेम किया है, जबकि चर्तभुज के पुत्र नथमल के वारिशान को वाद में पक्षकार ही नही बनाया गया है, जबकि वे सह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 2 सी0पी0सी0 के तहत आदेश पारित किया गया है तथा आदेश 39 नियम 3 की पालना नही की गई है। इस कारण भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 648, डी.एन.जे. 2017 पेज 133, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1301, आर0आर0टी0 2014–15 (Supp.) पेज 657, डी0एन0जे0 (राज.) 2015 (1) पेज 81 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील आदेश की भूमि अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने हेतु मूल वाद प्रस्तुत किया तथा उसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 2 के तहत Consider करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया तथा प्रथम सुनवाई में ही कैलाशचन्द को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए वादस्थ भूमि में सायलान के हिस्से तक की भूमि के मौका तथा रेकर्ड के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। प्रथमतः तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, जिन्होने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, वे राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज ही नही है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के अन्य सह खातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सह खातेदारी के तौर पर दर्ज है। कानूनन सह खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर कब्जा काश्त माना गया है, तो जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश पारित किये गये है, उनसे अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्षकार भी प्रभावित होंगे। इस स्थिति को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज किया गया है। साथ ही जैर अपील आदेश में यह अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, जो कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट है, के हिस्से की भूमि तक बेचान हस्तान्तरण करने से अपीलाण्ट को रोका गया है। जबकि वर्तमान में उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा किस रूप में निहित है, यह भी प्रमाणित नही हुआ है। इसके अतिरिक्त जैर अपील प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 (ख) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है। इस प्रकार जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1574/2017 सुरज शर्मा वगैरा बनाम कैलाशचन्द वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे पक्षकारों को समुचित सुनवाई तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित सन्दर्भित कानून को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी जैतारण का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली